न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामा0 अपील सं0 13/2017

1. राधाकिशन पुत्र श्रवण उर्फ नारायण
2. बरदी पत्नि श्रवण उर्फ नारायण
3. हेमराज पुत्र श्रवण उर्फ नारायण
4. रामकिशोर पुत्र श्रवण उर्फ नारायण

समस्त जाति मीना निवासी रूढमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा

..अपीलांट्स

बनाम

1. प्रभूदयाल पुत्र गोपाल जाति मीना निवासी रूढमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा
2. जगदीश पुत्र गोपाल जाति मीना निवासी रूढमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा
3. राजस्थान सरकार तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा

..रेस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार भू अभिलेख दौसा दिनांक 15.05.2017 जो नामान्तकरण संख्या 714 ग्राम रूढमल का बास तहसील दौसा पर पारित किया गया है ।

उपस्थित–1. श्री विनोद विजय, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से
2.श्री श्री ब्रजमोहन गौड, अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 से 02
3. श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता,

निर्णय दिनांकः 30.05.2025

1. संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा द्वारा दिनांक 18.5.2017 को ग्राम रूढमल का बास का नामान्तरण सं0 714 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में दलील दी कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा दिनांक 15.5.2017 जो नामान्तरण सं0 714 ग्रम रूढमल का बास पर पारित किया गया है कि अपीलांट को कतई जानकारी नहीं थी। क्योंकि उक्त निर्णय अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। इसलिए अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी नही थी। सर्वप्रथम दिनांक 5.7.2017 को अपीलांट को रेस्पों0 सं0 1 ने धमकी दी कि तुमने तो नामान्तरण रोकने की खूब कोशिश कर ली पर मैने सिफारिश व पैसों के बलबूते पर अपील के दौरान भी नामान्तरण खुलवा लिया तब अपीलांट ने दिनांक 5.7.2017 को पटवारी हल्का से जानकारी करने पर पटवारी हल्का ने उक्त नामान्तरण की जानकारी दी। इससे पूर्व अपीलांट को को उक्त नामान्तरण पर पारित [illegible] दिनांक 15.5.2017 की कोई जानकारी नही थी। उक्त आदेश अमान्य [illegible] किया गया आदेश है जिसके विरूद्ध अपील करने की कोई मियाद नहीं होती [illegible] फिर भी अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश है। उक्त कारणवश अपील पेश करने में डेरी हुई है जिसको श्रीमानजी के द्वारा क्षमा फरमाया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील को पेश करने में हुई देरी को क्षमा फरमाई जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार फरमाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:36:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर,दौसा

जावे। अधिवक्ता रेस्पों. सं0 1 से 2 व राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील विलंब से पेश की गई है। अपीलांट को उक्त नामान्तरण की पूर्व से जानकारी थी। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की दफा 5 कानून मियाद के बिन्दु पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।

4. तत्पश्चात मूल नामान्तरण अपील पर बहस सुनी गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम रूढमल का बास तहसील दौसा मे स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 177 रकबा 1.2900 है0 के 86/158 हिस्से का खातेदार जमाबंदी में राधाकिशन पुत्र नारायण अंकित है और शेष हिस्से के खातेदार बरदी पत्नि श्रवण, राधाकिशन पुत्र श्रवण, हेमराज पुत्र श्रवण, रामकिशोर पुत्र श्रवण दर्ज है उक्त भूमि पर मौके पर सम्पूर्ण रकबे पर अपीलान्ट का कब्जा है रेस्पो नंबर 1 व 2 ने कानून के विपरीत तरीके से भू प्रबध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा से अपील संख्या 24/2001 अनुवानी प्रभूदयाल बनाम राधाकिशन में इकतरफा मे कानून के विपरीत तरीके से यह निर्णय करवा लिया कि पूर्व खसरा नबर 43 के नये खसरा नंबर 175 वाके ग्राम रूढमल का बास तहसील दौसा रकबा 58 एयर के स्थान पर 75 एयर की खातेदारी घोषित की जाती है तथा 17 एयर प्रतिवादी राधाकिशन की खातेदारी खसरा नंबर 177 मे से कम की जाती है। उक्त निर्णय व डिकी की अपीलान्ट को जानकारी होते ही अपीलान्ट ने माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर मे अपील प्रस्तुत कर दी जो अपील चल रही है उक्त अपील मे माननीय राजस्व मंडल ने उक्त निर्णय की क्रियान्विती को स्थगित कर दिया था जिसकी नकल लाकर अधिनस्थ न्यायालय को दे दी थी रेस्पो ने बिना अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना उक्त स्टे आर्डर को राजस्व मंडल से रिकाल करवा लिया और रिकाल करवाकर और बिना अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना कोई जॉच किये बिना अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार भू अभिलेख दौसा ने खसरा नंबर 177 रकबा 1.29 है0 के अपीलान्ट राधाकिशन के नाम दर्ज 86/158 हिस्से मे से 21/158 हिस्से का नामान्तरण रेस्पो नंबर 1 व 2 के नाम भरकर और दिनांक 15.05.2017 को तस्दीक कर दिया जिसकी अपीलान्ट को कतई जानकारी नही थी अतः अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार भू अभिलेख दौसा के नामान्तरण संख्या 714 ग्राम रूढमल का बास पर पारित आदेश दिनांक 15.05.2017 के विरूद्ध यह अपील अपीलान्ट द्वारा पेश की जा रही है। निर्णय अधिनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध प्रकिया नियमो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना अपीलान्ट की तामील करवाये बिना उक्त निर्णय पारित किया है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। कानूनन जब अपील चल रही हो और स्थगन हो रहा हो तो नामान्तकरण जैसी प्रकिया नही करनी चाहिए किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तकरण तस्दीक करने मे कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। जिस भूमि खसरा नंबर 43 मे से 3 बीघा 6 बिस्वा हाल खसरा नंबर 175 रकबा 0.58 है० बाबत रेस्पो नंबर 1 व 2 ने अपील पेश की थी उक्त भूमि का आवटन रेस[illegible] व 2 के पिता गोपाल को दिनांक 29.06.1970 को होना बताया था [illegible] कालू को हुए आवंटन को जिला कलेक्टर महोदय दौसा ने प्रकरण संख्या [illegible]3/2001 अनुवानी श्रवण बनाम प्रभू मे दिनांक 29.09.2001 को खारिज कर दिया था [illegible] तथ्य की रेस्पो नंबर 1 व 2 को भली भांति जानकारी थी क्यो कि उक्त प्रार्थना पत्र 14(4) आंवटन रूल्स के केस मे वे पक्षकार थे तथा न्यायालय के समक्ष हाजिर थे और रेस्पो नंबर 1 व 2 ने उक्त श्रीमान के आवंटन के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:36:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

खारिज के निर्णय के विरूद्ध अपील पेश कर रखी थी जो चल रही थी किन्तु रेस्पो नबर 1 व 2 ने उक्त भूमि के अपने पिता के आवंटन के निरस्त होने के तथ्यो को छिपाकर तथा झूठे आधारो पर उक्त खसरा नंबर 43/1 हाल खसरा नबर 175 का अपने आप को खातेदार बताकर और न्यायालय से तथ्य को छिपाकर दिनांक 3.12.2004 को भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी से निर्णय करवाया था जिस दिनांक 3.12.2004 को उक्त निर्णय करवाया था उस दिन वादग्रस्त भूमि का रेस्पो नंबर 1 व 2 खातेदार नही था बल्कि उक्त भूमि सिवायचक थी और आवंटन निरस्त हो चुका था किन्तु रेस्पो नंबर 1 व 2 ने उक्त तथ्य को छिपाकर और झूठे तथ्य के आधार पर निर्णय व डिक्री करवाया था और ऐसे निर्णय व डिकी के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जॉच किये बिना निर्णय पारित करने मे कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। जो अवैध इकतरफा में भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी मे निर्णय पारित किया था उक्त निर्णय में 17 एयर भूमि राधाकिशन की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 177 मे से कम किये जाने का आदेश दिया था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 177 रकबा 1.29 है० मे से 21/158 हिस्से का नामान्तरण तस्दीक करके और कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। रेस्पो नंबर 1 व 2 एवं पटवारी गिरदावर तहसीलदार ने षडयंत्र रचकर जालसाजी करके तथा फर्जी रिकार्ड बनाया है क्यो कि जिस निर्णय व डिकी दिनांक 3.12.2004 के आधार पर उक्त नामान्तरण भरा गया है उक्त निर्णय व डिकी के दिन रेस्पो नंबर 1 व 2 खातेदार नही थे बल्कि रेस्पो नंबर 1 व 2 के पिता के नाम का आंवटन खारिज हो चुका था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नही करके और निर्णय पारित करने मे कानूनी गलती की है, अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा दिनांक 15.5.2017 जो नामान्तरण सं0 714 ग्राम रूढमल का बास पर पारित किया गया है को निरस्त फरमाया जावे।

6. अधिवक्ता रेस्पों. सं0 1 से 2 ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार दौसा के द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्यायालय के निर्णय की पालना में खोला गया है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिवत रूप से पारित किया गया है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

8. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. अपीलांट द्वारा यह कथन किया गया है कि अपील चलते हुए एवं स्थगन होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण तस्दीक किया है। रेस्पों0 1 से 2 द्वारा तथ्यों को छुपाकर निर्णय व डिक्री करवाई है, पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार षडयंत्रपूर्ण डिक्री दिनांक 3.12.2004 जिसके आधार पर नामान्तरण भरा गया है एवं उक्त निर्णय के दिन रेस्पों 1 व 2 खातेदार नहीं थे,बल्कि उनके पिता के नाम का आवंटन खारिज हो चुका था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर किये बिना निर्णय पारित किया जो कि गलत है। रेस्पों0 द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये माननीय राजस्व मंडल द्वारा दिये गये [illegible] मंडल की डी0बी0 द्वारा रिकॉल करवा लिया और रिकॉल करवाकर बिना अपीलांट [illegible] सुने तहसीलदार से दिनांक 15.7.2017 को तस्दीक करवा लिया।

10. हमने पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में किसी प्रकार का कोई दस्ताचेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं मात्र नामान्तरण सं0 714 प्रस्तुत की गई है। उक्त नामान्तरण का हमने अवलोकन किया जिसमें दिनांक 8.3.2017 को श्रीमान राजस्व मंडल अजमेर सर्किट बैंच जयपुर क्रमांकः अपील/टीए/2017/995

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:36:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

एवं क्रमांकःसम/84 दिनांक 7.3.2017 के द्वारा विवादित खसरे 177 पर रिकार्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश प्रदान है। इसके उपरांत दिनांक 12.7.2015 की प्रविष्टि उक्त नामान्तरण में कि अवलोकनीय है जिसमें अंकित किया गया है कि राजस्व मंडल, राज0 अजमेर सर्किट बैंच जयपुर द्वारा दिनांक 7.3.2017 को पारित किया गया स्थगन आदेश दिनांक 17.4.2017 को खंडपीठ द्वारा रिकॉल किया गया है अपील विचाराधीन है। उचित आदेशार्थ प्रस्तुत है। इसके उपरांत दिनांक 15.7.2017 को तहसीलदार दौसा द्वारा जांच पटवारी व आईएलआर नामान्तरण स्वीकृत किया। हमरे समक्ष यह स्पष्ट है कि जब यह नामान्तरण स्वीकृत किया गया तब माननीय राजस्व मंडल द्वारा स्थगन प्रकरण में लागू नहीं था। हालांकि प्रकरण विचाराधीन था। जहां तक अपीलांट का कथन है कि तथ्य को छुपाकर डिक्री व निर्णय करवाया गया है तो इसका निर्णय संबंधित अपीलांट न्यायालय में किया जायेगा ना कि नामांतरण की अपील में किया जा सकता है। जहां तक अपीलांट का कथन है कि जब राजस्व मंडल द्वारा स्थगन आदेश को रिकॉल किया गया तब अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किया गया तो इस संबंध में यह न्यायालय टिप्पणी करने के लिए सक्षम नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरण में हम कोई त्रुटि नहीं पाते है।

13. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 मई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियम समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:36:58 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official